

प्रारूप-छ (संलग्नक-6) अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2026/195004/ALG/ALIGARH/3532/CFO

दिनांक: 10-04-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ALIGARH INTERNATIONAL SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **KHASRA NO 215 NEAR MAHESHPUR FLYOVER, BAREHTI, ANOOPSHAHAR ROAD, ALIGARH** तहसील - **KOIL**, प्लॉट एरिया **6045.00 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **3601.76** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
ALIGARH INTERNATIONAL SCHOOL	4	0	16.0 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **ALIGARH INTERNATIONAL SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **23-04-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **MOHD AMIR 9997498600 binishaffan@gmail.com** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **26-04-2026** से **25-04-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **ALIGARH INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **ALIGARH INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : Fssotalानगरी केभौतिक/निरीक्षण संस्तुति के अनुसार वअपलोड मानचित्र के अनुक्रम मे इंगित शैक्षणिक भवन की, आवेदक द्वारा upF&E act2022वupF&E Rules2024काअनुपालन करने व 6माह मे ड्रिल करने की शर्त/उपबंधो केअधीन final noc निर्गत किया है ,जिसमे अहरअभिकर्ता से प्रत्येक जनवरी व जुलाई माह में भवन की fire safetyकी कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र प्रेषित करें।2-विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करनाअनिवार्य होगा।3-भवन के स्वरूप की वैधता मानचित्र स्वीकृत प्राधिकारी से 1वर्ष मे स्वीकृत कराने व fire safety मे प्रशिक्षित स्टाफ रखने /समय से नवीनी0न कराने/अपलोड अभिलेख असत्य पाये जाने/मानको/शर्तो का उल्लंघन करने/अग्निशमन की व्यवस्थाओ को अकार्यशील रखने पर उक्त noc को स्वतःनिरस्त माना जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



निर्गत किये जाने का दिनांक : 26-04-2026
स्थान : ALIGARH

Principal
Principal
Aligarh International School

Digitally Signed By
(Mukesh Kumar)